[श्री इकबाल सिंह]

करनी चाहिए । आखिर हमारा मुल्क सब से बड़ा है । माननीय सदस्य इस माहौल को खराब क्यों करना चाहते हैं ? (*Interruptions*).

श्री कपूर सिंह : माननीय सदस्य को कैसे पता है कि हम उस माहौल को खराब करना चाहते हैं । हम माहौल को खराब नहीं करना चाहते हैं । यह तो उन के मन में है कि हम माहौल को खराब करना चाहते हैं । हम तो माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं । (*Interruptions*)

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Thirty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 3rd September, 1965."

The motion was adopted.

12.34 hrs.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now resume consideration of the following motion moved by Shri M. C. Chagla on the 3rd September, 1965, namely:

"That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920, be passed."

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से क्षमा चाहता हूं कि मेरी किसी एजीटेशन की वजह से हाउस को तकलीफ पहुंची । मैं बिल्कुल नया आदमी हूं । आप ने मुझे सवा्ह बजे पहले बुला लिया । मेरा ख्याल यह था कि.........

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य जरा ठहर जायें ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Sir, again the Minister of Parliamentary Affairs is here, away from his seat.

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): He has raised a point and I would like to reply to it

Shri Raghunath Singh: He is not in his seat. He cannot speak

Shri Satya Narayan Sinha: I can speak from anywhere.

Mr. Speaker: Order, order.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): Sir, the matter has been discussed at very great length. So, some time-limit should be fixed. I submit that I have to leave for New York this afternoon, and I shall be very grateful to this House. . . .

Mr. Speaker: One hour may be enough, I think.

Shri M. C. Chagla: I thought half-an-hour would be sufficient. It has been discussed threadbare. I would not take more than two minutes.

Mr. Speaker: Whatever the time that was allotted has been spent and I have allowed every opportunity to everyone that I should conceive of.

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बीस मिनट मिलने चाहिए ।

Shri M. C. Chagla: I would not take more than two minutes to reply. I do not want to say anything more.

Mr. Speaker: One hour should be enough. Those who have already spoken should not try to speak. Because Mr. Yashpal Singh had a grievance that he was not allowed to reply, I have called him first. He will have 10 minutes.

Shri Satya Narayan Sinha: May I say a word, Sir? Twice or thrice it has happened—today also it has hap-

pened—that some of my friends said that I am in the midst of everybody. In the House of Commons, Sir, the Chief Whip is always considered to be invisible. Other men's movements are noticed, but he is not noticed. The nature of the work I have to do is such that sometimes I have to move like the fire-brigade, which has no rules to observe. I would, therefore, request you to consult what happens in other Parliaments. In the Mother Mother of Parliaments, the Chief Whip is considered to be invisible.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): But he is also Minister of Communications.

Mr. Speaker: That is exactly what I was going to say. We cannot lower the status of our minister. In other parliaments, it is only the Chief Whip who is invisible. But here we have got a Minister for Parliamentary Affairs. How can he be invisible? At that moment, my observation was that the minister is a privileged person. I implied that he has to move sometimes in connection with his business. But I have also to request him that he should conduct his business in such a way, his movements should be such that they should not be so much noticed and so prominent.

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया । मेरे पचास मिनट इन इन्टरप्शन्ज में खत्म कर दिये गये थे । इसलिए इस वक्त कम से कम पच्चीस मिनट दे दिये जायें । साथ ही मैं आप से यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल नया आदमी हूं । जो बात मेरे कहने की थी, वह अध्यक्ष महोदय ने कह दी । मेरा फर्ज यह था कि मैं खड़े हो कर एप्रीसिएट करता । मेरे कारण इस हाउस में जो अनप्लेजैन्टनेस आ गई, उस के लिये अध्यक्ष महोदय, मैं आप से, इस सदन से और डिप्टी स्पीकर साहब से एप्रीसिएट करता हूं । आप ने जिस तरह मुझे शरमिन्दा किया है, उस को देखते हुए मैं आप को वचन देता हूं कि आईन्दा मेरी तरफ से कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री मैं आप से और आप के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से यह जरूर कहूंगा कि इन तीन सालों में आज तक मैंने किसी भी मेम्बर के बोलने के दौरान में चेक या इन्टरप्ट करने, किसी को डिक्टेट करने या किसी के मामले में कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह जरूर अपील करता हूं कि जब तक मैं बोलूं, तब तक मुझे बीच में इन्टरप्ट न किया जाये, क्योंकि मेरे पचास मिनट पहले ही इन्टरप्शन्ज में खत्म हो चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आप ने बीच में आ कर शालीनता, सौष्ठव और कल्चर के साथ हमारे इस विवाद को निपटा दिया है, मेरा अपना ख्याल यह है कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब उस यूनिवर्सिटी के मामले को शांति के साथ, बच्चों के प्रति प्रेम और प्रोफैसरों के प्रति एफेक्शन रखते हुए निपटाना चाहते, तो वह जरूर निपट जाता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फतेहगढ़ साहब में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी के साथ ज्यादती हुई । वहां पर स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मास्टर तारासिंह की पार्टी ने ज्यादती की, मास्टर तारासिंह की पार्टी ने उन की इज्जत पर हमला भी किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बगैर बोले हुए, बगैर स्पीच दिये हुए, इस हाउस में वापस आना पड़ा । अगर पंडित नेहरू राष्ट्रपति जी से आ कर यह कहते कि पहले पंजाब के गवर्नर को बरखास्त करो, फिर पंजाब के कमिश्नर को बरखास्त करो, फिर पंजाब के गवर्नमेंट को बरखास्त करो, तब मैं प्राइम मिनिस्टर रह सकूंगा, तो क्या यह उन के कहने योग्य बात थी ? एक बड़े आदमी के लिए यह बात शोभा नहीं देती । लेकिन यहां पर बड़े गर्व के साथ हमारे शिक्षा मंत्री जी यह फरमाते

[श्री यशपाल सिंह]

हैं कि श्री अली यावर जंग ने कहा कि जब तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कांस्टीट्यूशन मुअत्तिल न किया जायेगा, जब तक वहां की एक्सीक्यूटिव कौंसिल को बरखास्त नहीं किया जायेगा, जब तक वहां की कोर्ट को काम करने से नहीं रोका जायेगा, जब तक इस बारे में आर्डिनेंस लागू नहीं किया जायेगा, तब तक वह वहां वापस नहीं जा सकते हैं। यह बड़े आदमियों के लिए कभी भी शोभा नहीं देता है। बड़े आदमियों को शोभा यही देता है कि वे बच्चों में एजूकेशन के साथ काम करें, प्रोफेसर्स को प्रेम के साथ समझायें और सब को साथ ले कर चलें। हिन्दुस्तान में और भी यूनिवर्सिटियां हैं। हमारी रुड़की की यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वह संसार भर में सबसे बड़ी है। उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब जब निकलते हैं तो शहर के लोग जमीन चूमते हैं, उनके पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। दारुल उलूम, देवबन्द की यूनिवर्सिटी इस्लामी कल्चर की सब से बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के सब से बड़े आदमी मौलाना कारी मुहम्मद तैयब साहब जब चलते हैं तब लोग उन के दर्शनों के प्यासे रहते हैं, उनके दर्शन करने घरों से बाहर निकल आते हैं। वहां का हर फर्द और बच्चा उनकी इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है। हर एक का सम्मान उनको हासिल है। जब वे चलते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी सलतनत का राजा चल रहा हो। पुजारियों की तरह लोग उनके दर्शनों के लिए व्याकुल रहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कब तक संगीनों के साये में वाइस चांसलर रह सकेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि जब जनता का प्रेम उनके साथ नहीं है, वहां यूनिवर्सिटी की जो सब से बड़ी ताकत है अर्थात लड़के, प्रोफेसर, स्टूडेंटस, स्टाफ, वे उन्हें नहीं चाहते हैं तो आर्डिनेंस के सहारे उनको कब तक वहां आप कायम रख सकते हैं। कब तक उनको वहां वाइस चांसलर संगीनों के साये में बनाये रख सकते हैं? मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की सब से बड़ी चीज होती है, वाइस चांसलर के प्रति लोगों का एफेक्शन, सब से बड़ी चीज होती है वाइस चांसलर का किरैक्टर। अगर यह ठीक नहीं होता है, अगर प्रेम भावना नहीं होती है, अगर एफेक्शन नहीं होता है तो संगीनें उसको कायम नहीं रख सकती हैं।

हरम सरा की हिफाजत को तेग ही न रही
काम देंगी ये चिलमन की तीलियां कब तक

हमारे शिक्षा मंत्री जिस वक्त बम्बई में चीफ जस्टिस थे उस वक्त उन्होंने क्या फैसला दिया था, उसको वह देखें। आज वह चीफ जस्टिस नहीं हैं बल्कि मिनिस्टर बन गये हैं। लेकिन उस समय जब वह चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक फैसले में कहा था :—

"Under Art. 30(1) not only is a minority given the right to establish and administer educational institutions, but the educational institutions must be of their own choice. It is not open to the State to dictate to a minority what the nature of educational institutions should be. What a citizen enjoys in a democracy and what he values most is liberty of thought, and it cannot be disputed that one simple and easy method of controlling thought is to control the education of the young."

मैं पूछना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस का जब यह विचार था तो क्या आज उनके मिनिस्टर बन जाने के बाद उनके विचार बदल गये हैं? आज मिनिस्टर छागला जस्टिस छागला नहीं हैं। आज तो वह हाउस को यहां तक कहते हैं कि तुम पेश करो और मैं पास कर दूंगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में से मुस्लिम नाम भी हटा दिया जाए। वह मुस्लिम शब्द तक को भी हटा देना चाहते हैं। लेकिन वह कोई दलील ऐसी नहीं दे सके हैं कि क्यों मुस्लिम नाम को हटा कर वह दूसरा नाम

देना चाहते हैं । मैं सर सैयद अहमद खां का ध्यान पढ़ देना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय : नाम बताने का अब सवाल नहीं है । अब आप इतनी डिटेल्ज में न जावें ।

श्री यशपाल सिंह : कोई बात नहीं है । जैसे आप कहें मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं । मैं ऐसा ही किया पढ़े बताता देना चाहता हूं कि सर सैयद अहमद ने इस इंस्टीट्यूट को इसलिए कायम किया था कि यह मुसलमानों को रिलिजस की ट्रेनिंग देगी । लेकिन आज हमारे छागला साहब एक भी डाक्टरेट पेश नहीं कर सके हैं, एक भी तारीख पेश नहीं कर सके हैं, एक भी लाजिक पेश नहीं कर सके हैं कि क्यों इस इंस्टीट्यूशन को मुस्लिम यूनिवर्सिटी न कहा जाए या यह माइनोरिटीज की इंस्टीट्यूशन नहीं है ।

यहां 42 यूनिवर्सिटीज और हिन्दुस्तान में हैं जहां लड़के पढ़ते हैं । अलीगढ़ में 35 परसेंट गैर मुस्लिम हैं । थोड़े से दूसरे छात्र तालीम हासिल कर सकते हैं । अगर सारे हिन्दुस्तान को देखा जाए तो थोड़े से मुस्लिम छात्र यहां तालीम हासिल कर सकते हैं । लेकिन आज हमारे छागला साहब उनको हटाना चाहते हैं । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सिवाय जो हिन्दुओं की मेजारिटी वहां है और कौन लोग चाहते हैं उसको जो कुछ आप कर रहे हैं । क्या सारा हिन्दुस्तान इसको चाहता है ? जब तक आप हिन्दुस्तान से न पूछ लें, जब तक हिन्दुस्तान की जनता से न पूछा जाए, तब तक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के ऊपर हाथ डालना ठीक नहीं है, शिक्षा मंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वह.....

श्री बड़े (खारगोन) : प्वाइंट आफ आर्डर सर.....

श्री यशपाल सिंह : मैं जानता हूं आपके प्वाइंट आफ आर्डर को । मैं जब आप बोलते हैं तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाता हूं । मैं चाहता हूं कि आप मुझे बोल लेने दीजिये और बीच में इंटरप्ट न कीजिये । इस में कोई प्वाइंट आफ आर्डर एराइज नहीं होता है ।

कानून क्या होता है । कानून जनता की इच्छा होती है । जनता की इच्छा को ही कानून कहते हैं । मैं इस बात को जानता हूं । हमारे विधान शास्त्री भी इसी बात को कहते हैं :

> "Law is nothing but the will of the people expressed in terms of law."

जनता की इच्छा के बगैर, जनता से पूछे बगैर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर हाथ डालने का आपको कोई अधिकार हासिल नहीं था । आज भी बहुत सी बातें हो रही हैं । जस्टिस बशीर अहमद सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया है । उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि श्री अली यावर जंग साहब के साथ नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें न कही जायें जिन की कानून इजाजत नहीं देता है । उनके ऊपर केस चलेगा । उनको स्टेट गवर्नमेंट ने.....

श्री यशपाल सिंह : मैं छोड़ देता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि यह नासूर कब तक बना रहेगा, यह जुकाम कब तक चलेगा । सिर्फ छः हफ्ते से यूनिवर्सिटी का एटमोसफीयर गंदा हुआ । छः हफ्ते पहले तक यूनिवर्सिटी ठीक तरह से काम कर रही थी, उसकी तारीफ स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, सारे संसार ने की थी । मैं जानना चाहता हूं कि छः हफ्तों में कौन सा ऐसा जहर आ कर मिल गया कि उस यूनिवर्सिटी का सारे का सारा वातावरण विषाक्त हो गया ।

[श्री यशपाल सिंह]

मैं कहना चाहता हूं कि माइनोरिटी के नाम पर नहीं बल्कि देश के सैक्युलरिज्म के नाम पर इस मामले को लिया जाए। यह जो बिल लाया गया है यह वन मैन्स शो है। इस में माननीय शिक्षा मंत्री ने...

Shri Raghunath Singh: How can he say that it is one man's show? The proposal has been passed by the whole House. We must protest against it.

अध्यक्ष महोदय : ये अगर कोई बात गलत भी कहते हैं तो दूसरों की बारी भी आएगी और वे उसका जवाब दे सकते हैं। इनको मैं कैसे रोक सकता हूं। उनका जो बहाव है, उसको जरा चल लेने दीजिये। उनको खत्म कर लेने दीजिये।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): We are simply protesting in the parliamentary way and saying that he is wrong.

श्री यशपाल सिंह : शिक्षा मंत्री से मेरी अपील है कि बगैर भारत की जनता से पूछे हुए इस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस तरह से पामाल करने का इरादा छोड़ दें। हमारा देश सैक्युलरिज्म को कायम करना चाहता है। इसकी बुनियाद महात्मा गांधी ने डाली थी। उसका आज यह तकाजा है कि हम कंधे से कंधा मिला कर काम करें।

अध्यक्ष महोदय : मेरी प्रार्थना है कि आप कितने भी जोश में आयें लेकिन उस तरह के शब्द इस्तेमाल न करें जैसे आप कर रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : जैसा हुक्म हो, वैसा ही करूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : होश में भी रहें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिये जैसे "पामाल"

श्री यशपाल सिंह : आपका जैसा हुक्म। आसान से आसान शब्द मैं कहना चाहता हूं, मुलायम से मुलायम शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : "पामाल करना" यह इतना मुलायम शब्द नहीं है। यह बहुत सख्त है।

श्री यशपाल सिंह : मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस छोटे से बच्चे के ऊपर आप थोड़ा सा रहम करें। भारत की जनता की इसके मुताल्लिक जरूर राय पूछें। हम उस सैक्युलरिज्म को कायम करना चाहते हैं जिस सैक्युलरिज्म का बुनियादी पत्थर पंद्रहवीं सदी में पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने गोल्डन टैम्पल में रखा था। और हरिमंदिर का बुनियादी पत्थर मियांमीर से रखवाया था। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर यह बुनियाद कायम रहे, सैक्युलरिज्म कायम रहे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई है और मैं ने इसको बहुत जानने की कोशिश की है। यह कहा गया है कि इस बिल में हाउस उन के पीछे है। मैं ने इतिहास पढ़ा है। द्रोपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, द्रोपदी को जब नंगा किया जा रहा था तो एक भी वोट दुर्योधन के खिलाफ नहीं थी ...

Shri Raghunath Singh: Sir, we have to protest against this. This is incorrect. Such kind of expressions should not be allowed to be ued in the House.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): It is very wrong to use such expressions. We protest against it.

श्री रघुनाथ सिंह : द्रोपदी का चीर खींचा जा रहा था, उसकी जो उपमा इन्होंने इस हाउस से दी है, इस से इन्होंने सारे हाउस का अपमान किया है। यहां द्रोपदी का चीर कोई नहीं खींच रहा है। द्रोपदी

का चीर खींचने वाले यहां नहीं बैठे हैं। हम हिन्दुस्तान के रिप्रिजेंटेटिव हैं।

श्री यशपाल सिंह : इतिहास की घटना यहां नहीं बताई जा सकती है तो मैं उसको नहीं बतलाऊंगा।

श्री बड़े : इनको अपने शब्द वापिस लेने चाहियें।

श्री यशपाल सिंह : मैं उस घटना को नहीं कहता हूं। मैं वापिस लेता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता से क्या इस के बारे में पूछा गया है? इसी हाउस में हमारे भाई माननीय प्रकाशवीर शास्त्री जो ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे इलजाम लगाये थे। उन इलजामों को एक-एक कर के लड़कों कोठी ने झूठा साबित किया है। कोई भी बात ऐसी नहीं कहता हूं जो लाजिक से, मंत्रक से, दलील से, पार्लियामेंटरी सिस्टम से अलग हो। इसी हाउस में डा० सैयद महमूद पर इल्जाम लगाया गया। मेरे पास वह लेटर है। अगर माननीय शिक्षा मंत्री पढ़ कर इसे सुना दें सारे हाउस को और मैं एक लफ्ज भी ऐसा मिल जाये जो अनपार्लिमेंटरी हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस पार्लियामेंट में बोलना छोड़ दूंगा। लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 75 फीसदी लड़के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग की एजुकेशन हासिल करते थे। अब उन को 50 फीसदी कर दिया गया है। अब मुझ को बतलाया जाये कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो लड़के होंगे उनको कौन सी यूनिवर्सिटी लेगी। वह तो उसी तरह से है कि "To give a bad name and kill the dog" अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस कदर बदनाम किया गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस कदर डिफेम किया गया है कि मेम्बरान का मुंह उस का नाम लेने से कड़आ होता है। मैं जानना चाहता हूं कि 25 फीसदी लड़के जो वहां से निकल कर जायेंगे उन का क्या होगा। जब उन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मुहर लगी होगी तो उन के कैरियर का क्या होगा। बच्चों के करियर के इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ताल्लुक लड़की यूनिवर्सिटी से है। मैं जानता हूं अगर एक लड़के का भी कैरियर खराब हो जाता है तो उस के मां बाप पर मुसीबत आ जाती है, उस के रिश्तेदारों पर मुसीबत आ जाती है। जिन बच्चों का कैरियर अलीगढ़ में खराब किया गया है वह बच्चे अब कहां जायेंगे। इसी मुल्क के अन्दर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक लड़का भी बाहर का नहीं लिया जाता। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कहा जाता है कि वह बाहर के लड़के लें।

इसी हाउस में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जनरल शाहनवाज खां के बारे में बहुत कुछ कहा। जनरल शाहनवाज खां मेरे डिफेन्स के मुहताज नहीं है, लेकिन अगर उन के बारे में मैं एक बात न कहूं तो मैं अपनी आत्मा के साथ धोखा करूंगा। जब मैं पाकिस्तान गया तो मैं ने वहां पर सरदार अब्दुर्रब निश्तर से कहा कि मैं जनरल शाहनवाज खां का गांव देखना चाहता हूं। उस गांव को देखना चाहता हूं जिसने जनरल शाहनवाज खां जैसा सपूत पैदा किया है जिस की जवाहरलाल नेहरू ने बुश गाउन पहन कर पैरवी की। जो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का सब से बड़ा जनरल उस का गांव देखना चाहता हूं, जिस के लिये पंडित नेहरू ने यह कहा था कि :

"The most efficient General I have seen in my life."

पाकिस्तान में सरदार अब्दुर्रब निश्तर ने मुझ

[श्री यशपाल सिंह]

जवाब दिया कि तुम हमारे मेहमान हो यशपाल सिंह, हम तुम को बख्श देते हैं, । लेकिन पाकिस्तान में जनरल शाहनवाज खां का नाम लेने वाले को हम जेल में डाल देते हैं। जिस शख्स के करेक्टर को पाकिस्तान वाले इस तरह देखते हैं, जो पाकिस्तान का का इतना बड़ा दुश्मन है, जो नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का इतना बड़ा विश्वासपात्र है जो पंडित नेहरू का सच्चा साथी है उस के लिये श्री प्रकाशवीर शास्त्री हलके सनज कहें यह इस पार्लियामेंट की तौहीन है। अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई जांच होनी है तो मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले को जनता की अदालत में लाया जाये। इस मामले को जस्टिस चागला पर न छोड़ा जाये बल्कि जनता की अदालत में इसे ले जाया जाये।

मैं सच्चे दिल से अपील करता हूं कि श्री चागला इस बिल को वापस लें और इस को दियासलाई के हवाले करें और इसकी राख भी भारत की भूमि पर नहीं रहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुखालिफत कर सकते हैं लेकिन जो चीज पालियामेंट में तय हो गई है उस के लिये दियासलाई के हवाले करने की बात कहना नामुनासिब बात है।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): Mr. Speaker, Sir, I shall be very brief. Actually, I had no intention of taking part in this debate but having read the report of the discussion in this House I am rather disturbed by much of what is being said both in support of Shri Chagla's position and against him. That is why I wish him even at this stage to reiterate emphatically certain assurances which he has given and also to try to remove certain misapprehensions which obviously have been created.

There is a misgiving in many Muslim minds, whether rightly or not is a different matter, that the special character of Aligarh is likely to be violated under the new arrangement. Shri Chagla has been a judge and you, Sir, also have been in that elevated position and you know of the judicial maxim that justice should not only be done but it must also appear that it is being done. It is the Government's responsibility to assure Muslim opinion all over the country that this apprehension is wrong.

I know that Shri Chagla is right in so far as he is trying to put a real, secular, democratic complexion to Aligarh University; but if this misapprehension has arisen in the minds of many people about all of whom we cannot be sure that they are reactionaries, then certainly something more has got to be done about that. That is why I say that a regular Bill has got to be brought forward as soon as ever that is possible. If it is possible, in the very next session let this Bill be brought forward. No avoidable delay should take place.

We have swallowed a bitter pill—the principle of nomination and all that kind of thing, the exclusion of representatives of teachers in the court and the executive council and so many other items into which I need not go; but we have swallowed a bitter pill only for the time being so that the regular medicine follows a little later.

I wish also to say that it is time when we discuss a matter of this sort that Muslims and Hindus and all, we remind ourselves of the role of Aligarh University in the context of the composite culture of our country. Aligarh has been a symbol cherished by Muslims no doubt, more than by other people in India, but it is cherished also by the rest of the Indian people. In the traditions of Aligarh there have been many bad things—no doubt about it; good and bad are mixed together as far as the traditions of Ali-

garh or of any other comparable place are concerned. But we cannot forget that in the great days of non-cooperation men of Aligarh came out and started a national Muslim University. We cannot forget that Mohammed Ali, Shaukat Ali, Khan Abdul Ghaffar Khan, Hasrat Mohani, Mukhtar Ahmed Ansari, Rafi Ahmed Kidwai, Zakir Hussain and Hafiz Mohammed Ibrahim. . . .

An hon. Member: Raja Mahendra Pratap.

Shri H. N. Mukerjee: ....and Raja Mahendra Pratap have all been brought up in Aligarh.

Besides, Aligarh is not merely a foundation set up by the minority community. It is a foundation which the whole country has taken to its heart and that is why today we find 1,625 non-Muslim students and 130 foreign students from 23 different countries in Aligarh. The reputation of Aligarh is not merely the responsibility of the Muslim community. The reputation of Aligarh is something which the entire country has got to look after. Therefore it is very important that more positive efforts are made towards the cultural integration of Muslim and Hindu students residing in the hostels.

I should also like to say in this regard that Muslim opinion in our country has a special responsibility in trying to point out the position of Aligarh in the totality of Indian life. I find Pakistan exploiting against us the international freemasonry of Islam and we should try to counter it and say that here in this country Islam has found a hospitable home; this is the one country in all the world where Islam has found itself in a position to become acclimatised and that is why we have got this total composite culture. Islam has its uniqueness—no doubt about it. Our unity is not a rigid structure; it is a unity in diversity but the uniqueness of Islam with its miltant affirmations has come to terms with the infinite eclecticisms of Hindu thought and the result has been the creation of a composite culture which at least we should try to tell the world that we really and truly cherish.

The Muslims in the country should also perhaps in fairness to the Government remember that apart from Aligarh we have the Jamia Milia Islamia, the Khudabaksh Research Library which Shri Chagla is going very soon to elevate to the status of a university, the Dar-ul-Alam at Deoband to which reference was made by Shri Yashpal Singh; we have the seminaries at Lucknow, Saharanpur, Azamgarh and Hyderabad; we have faculties of Islamic history and culture in different universities. "Islamic Culture" is the name of a periodical brought out by Osmania University's Oriental Publications Division which is known all over the world. These are matters which we should utilise in the counter-propaganda against Pakistan's telling all the world that here in India Muslims are an oppressed minority. I know that the Muslims have their grievances and I have not hesitated to point out the grievances of Muslims when I have found them to suffer in spite of the secular democracy which we have got, but that is no reason for yielding to Pakistani counter-propaganda which is winning friends for them today. Even in the present situation they are telling all the world that Islamic culture is ignored in India. As a matter of fact, in spite of whatever one might think about this particular piece of legislation, there are in this country institutes of Islamic learning which can compare with their prototypes anywhere in the world. And I say this because I am convinced and I am sure this House will agree that the Muslims in India have never been an alien element. The impact of Islam has never violated the integrity of Indian life. A stupendous man like Amir Khusro, for example, said, "I am an Indian Turk and I can reply to you in Hindawi"—that was the language—and he said, "As I am a parrot of India, ask me something in Hindawi that I may talk sweetly."

[Shri H. N. Mukerjee]

He said, in the fourteenth century, "Do you know why the air of this country is hot?"—he was referring to Delhi in his famous ghazal—"It is because of the wormth of loyalty and devotion that the sun demonstrates towards this country."

13 hrs.

In the grand days of non-cooperation when at Gandhiji's magic call, Hindus and Muslims and all came together, what do we find. A grand team of Muslims who were national leaders of this country, men like Hakim Ajmal Khan, Mohammad Ali, Shaukat Ali and Maulana Abdul Kalam Azad, were leaders of all, not merely of Muslims or Hindus in the separatist fashion, the leaders of everybody. I am reminded of a Muslim who was talking of the grievances of the Muslim community, proclaiming his loyalty to India in terms which have struck in my memory. He said, when a Hindu dies, his body is burnt and the ashes are thrown into the river to be carried by the current—God knows where—but when a Muslim dies, he wants six feet by three of Indan soil; and he belongs to India in life as well as in death.

What has happened in Kashmir? Who is fighting in Kashmir? Only the other day, Mr. Dwivedy, who is not here, told us in this House that he went to Kashmir, that he went to the hospitals, to see some of those injured army men, and everybody he talked to was a Muslim. Who was the first Indian who, in free India, got the Param Vir Chakra? It was Brigadier Usman, brother of a dear friend of mine, who was the first recipient of the Param Vir Chakra. He gave his life for his country. Greater love than this hath no man than that he gave his life for his country. This is how the world goes on; this is how our country goes on; this is how, in our country, Hindus and Muslims and all have to combine Let us forget footling little differences; let us forget the differences we have in regard to small matters here and there; let us forget what particular things we can bring up against Government on particular issues. But the issue that matters is: let us remember that India is one and we have got to fight together. For that purpose, let us purge the Aligarh institution of its dross and keep the Aligarh institution as a shining example just as we should keep the Banaras institution also as a shining example of the totality of Indian culture where the uniqueness of different trends of life and thought have come together in a beautiful stream. For that purpose, I want Mr. Chagla to reiterate more emphatically some of the assurances he has given and to seek to remove persistently, by repeated effort, the misgiving which continue in the minds of many Muslims in our country, all of whom I am not ready to brand as reactionaries, that this legislation is going to hurt the Aligarh institution and to hurt the interests of this country.

श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज) : जनाब स्पीकर साहब, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज तक हमारी कांग्रेस ने या उसकी वर्किंग कमेटी ने या कांग्रेस के किसी हाई कमान्डर ने कोई लफ्ज ऐसा नहीं कहा कि जिस का मतलब यह हो कि अलीगढ़ यूनिवरसिटी की शक्ल और सूरत को बदला जाए । लेकिन इस सवाल को सब से पहले अपोजीशन ने उठाया, इस हाउस में, और इस के बाहर भी ।

मैं आप से यह अर्ज करता हूं कि यह बिल जो अभी लाया गया है, उसके बारे में हमारे मिनिस्टर साहब यह फरमाते हैं कि यह बिल इसलिए लाया गया है कि 25 अप्रैल, को जो वाक्या हुआ उस में वाइस चांसलर को कत्ल करने की साजिश की गयी थी । ऐसा खराब काम, ऐसा

हीनस क्राइम करने के लिये कांसपिरेसी क्यों हुई उस की वजह आप बताते हैं कि वह नेशनलिस्ट खयाल के थे । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि डा० जाकिर हुसेन क्या थे, करनल जैदी क्या थे, तैयब जी क्या थे ? अगर वह नेशनलिस्ट नहीं थे तो मुझे मजबूर हो कर यह कहना पड़ता है कि मुल्क में सिर्फ दो नेशनलिस्ट हैं, एक नवाब साहब और दूसरे चागला साहब ।

मैं कहता हूं कि यह बिलकुल हकीकत के खिलाफ बात है कि उन का मरडर करने की साजिश की गयी थी, बल्कि साजिश इस बात की की गयी थी कि ऐसे हालत पैदा किए जाएं कि आडिनेन्स जारी हो जाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवरसिटी को कत्ल किया जाय, और इस साजिश को मैं इस पार्लियामेंट की कार्रवाई से साबित करूंगा ।

आप खयाल फरमाइए कि 1960 में, मार्च, के महीने में हमारे दोस्त श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कई दफा इस हाउस में ऐसे सवालात उठाए कि जिन में सख्त से सख्त इल्जामात एमबैजिलमेंट वगैरह के अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवरसिटी के खिलाफ लगाए गए । वह इल्जामात यकीनन ऐसे थे कि उनकी वजह से आडिनेन्स आना चाहिये था । मुझे प्रकाशवीर शास्त्री से शिकायत नहीं है इसलिए कि उन को इनफारमेशन मिली, और बहैसियत पार्लियामेंट के एक मेम्बर के उन्होंने अपना फर्ज अदा किया । लेकिन उस के बाद इस तरह से कार्रवाई की गयी कि किसी तरह से आडिनेन्स लागू किया जाए । लेकिन उस वक्त जो हमारे मिनिस्टर मिस्टर श्रीमाली साहब थे उन्होंने निहायत अक्लमन्दी और इन्साफ से काम लिया और उन्होंने एनक्वायरी के लिए एक कमेटी मुकर्रर की । जब वह कमेटी मुकर्रर हो गयी तो श्री प्रकाशवीर शास्त्री को करार न आया , उन्होंने 2 मार्च को हाउस में एक हाफ एन आवर डिसकशन किया । उस में तमाम इल्जामात लगाए गए और वह तमाम रिकार्ड कमेटी के सामने गया । कमेटी ने उस की रोशनी में हर चीज की जांच की और कोई इल्जाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवरसिटी के खिलाफ साबित नहीं हुआ । ऐसी हालत में वह कांसपिरेसी कि कोई सूरत से आडिनेन्स लाया जाए फिर फेल हो गयी ।

उस सिलसिले में मैं आपको उस रिपोर्ट का पैरा 55 का खुलासा बताए देता हूं । उस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवरसिटी के स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन की तारीफ की गयी बमुकाबले और यूनिवरसिटियों के, खूसूसन बनारस यूनीवरसिटी के । उस में कहा गया है कि अलीगढ़ यूनीवरसिटी का डिसिप्लिन निहायत बेहतर है ।

अब कमेटी की रिपोर्ट से यह सवाल पैदा हुआ कि सभी इल्जामात गलत साबित हुए और एनक्वायरी कमेटी कहती है कि वहां का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है । हमारे महबूब लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां तशरीफ ले गए, शास्त्री जी वहां तशरीफ ले गए । उन्होंने भी वहां के डिसिप्लिन की तारीफ की । अब कांसपिरेटर्स को यह खयाल हुआ कि किस तरह से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि आडिनेन्स जारी हो । चुनांचे उस के बाद, जैसा कि हमारी बहिन रेणु चक्रवर्ती ने कहा था, एक भीम सिंह को जो कि जनसंघ का था, जम्मू से बुलाया गया, उसको हिदायत दी गयी कि तुम जाओ, वहां के लड़कों से घुल मिल जाओ और किसी तरह से उन से एजीटेशन कराओ । आप जानते हैं कि मुसलमान लड़कों में से भी कुछ ऐसे लड़के बदतमीज होते हैं जो खराब से खराब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं । आप जानते हैं कि पांच हजार लड़के मुस्लिम यूनिवरसिटी में हैं, उन में से सिर्फ डेढ़ सौ लड़कों ने इस

[श्री मुहम्मद ताहिर]

एजीटेशन में हिस्सा लिया । कांसपिरेटर्स का खयाल था कि अलीगढ़ यूनीवरसिटी के लड़के जब तक मुश्तैल नहीं होंगे तब तक एजीटेशन नहीं करेंगे और वह मुश्तैल तभी होंगे जब उन के सामने पुलिस लाकर खड़ी कर दी जाएगी और उन पर गोली चला दी जाएगी । चुनांचे ऐसा ही हुआ । पुलिस को लाया गया और गोलियां चलाई गयीं और इस लिये वहां के लड़के मुश्तैल हो गए और एक नाजायज हरकत कर बैठे । तो यह एक कांसपिरेसी थी कि वहां किसी तरह से ऐसे हालात पैदा करो कि आर्डिनेन्स लागू हो जाए ।

मुझे इस का सख्त अफसोस है कि यह कहा गया है कि मरडर करने के लिए साजिश की गयी थी । यह बिल्कुल गलत है । मेरा कहना है कि हमारे मिनिस्टर साहब को गलत इत्तला मिली जिस से वह ऐसा कहते हैं, दरअसल बात यह थी कि यह कांसपिरेसी अलीगढ़ यूनीवरसीटी को कत्ल करने के लिए की गयी थी ।

मैं कहता हूं कि कांस्टीट्यूशन की दफात 30, 13 और 123 के मुताबिक यह आर्डिनेन्स और बिल बिल्कुल नाजायज है और नहीं आ सकता ।

दूसरी बात मिनिस्टर साहब ने कही कि हम इसको नेशनल यूनीवरसिटी बनाना चाहते हैं । हमारे दोस्त रघुनाथ सिंह जी ने कहा कि अलीगढ़ यूनीवरसिटी को मुसलमानों ने नहीं बनाया है

श्री रघुनाथ सिंह : मैं ने कहा कि यह मुसलमानों की बनायी हुई है, लेकिन अब उस में 95 पर सेंट पबलिक मनी लग रही है जिसको कि पार्लियामेंट ग्रांट करती है ।

श्री मुहम्मद ताहिर : पार्लियामेंट ग्रांट करती है तो कांस्टीट्यूशन की इजाजत से करती है । आपका कहना है कि यह माइनारिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और नेशनल यूनीवरसिटी है जैसीकि बनारस यूनीवरसिटी मैं जानता हूं कि बनारस यूनीवरसिटी के बारे में पार्लियामेंट ने मुहर लगा दी है कि यह हिन्दू यूनीवरसिटी है, अलबत्ता यह नेशनल इम्पारटेंस की है । बनारस हिन्दू यूनीवरसिटी की ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आ गयी है । आप देखें कि इस ज्वाइंट कमेटी को पार्लियामेंट ने बनाया है और इस में दोनों हाउसेज के मेम्बर हैं, पर इन में से एक भी मुस्लिम , या सिख या एंगलोइंडियन नहीं है । माइनारिटीज का एक मेम्बर भी इस में नहीं है । और हमारे रघुनाथ सिंह जी ने इस में काम किया, हमारे मिनिस्टर साहब ने इस में काम किया है । क्या नेशनल यूनीवरसिटी इस तरह की यूनीवरसिटी हो सकती है । जिसकी ज्वाइंट कमटी में एक भी मुस्लिम न हो । मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट ने इस पर मुहर लगा दी है ।

कि यह बिलकुल हिन्दुओं के लिए हिन्दू यूनिवरसिटी है लेकिन नेशनल इम्पार्टेंस की भी जरूर है उसी तरीक़ से मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने बनाई है लेकिन वह भी नेशनल इम्पार्टेन्स की जरूर है ।

इस सिलसिले में जनाब मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि मजलिस मशावरती की मीटिंग में जिस में डा० महमूद शामिल थे उन्होंने जमायत इस्लामी और मुस्लिम लीग को साथ लेकर हमारे इस आर्डिनेन्स के खिलाफ़ प्रोपेगैंडा किया । यह सही है कि प्रोपेगैंडा किया मगर उन को मालूम होना चाहिए कि डा० महमूद ने वह काम किया जिसे किसी ने नहीं किया । तीन

रास्ते पर चलने वाली जमायत को एक रास्ते पर लाये और उस के मुताल्लिक जितने जलसे और मीटिंगस हुई, उन बड़े-बड़े जलसों की हिन्दू भाइयों ने सदारत की है और उन में सिवाय कौमी यकजहती और हिन्दू मुस्लिम इतिहाद के और दूसरी किसी चीज पर जोर नहीं दिया गया । हां आप के आर्डिनेन्स के खिलाफ एक अपील मुसलमानों से जरूर की । उन्होंने यह कहा कि भाइयों 16 तारीख को जब तुम नमाज में जाओ तो यह दुआ करो या अल्लाह हमारी गवर्नमेंट को तौफ़ीक नेक अता फरमा और चागला साहब के जुल्म से मुस्लिम यूनिवरसिटी को बचा ले । यह सिम्पल, बिलकुल मासूम और बेगुनाह एजिटेशन किया गया है लेकिन यह एजिटेशन करने वाले भी डी० आई० आर० के शिकार हो गये । अब सवाल यहां प्रैस्टिज का हो गया है और वह यह कि चागला साहब ने एक काम किया है वह मिनिस्टर हैं वे एक बिल यहां पर लाये हैं तो अब इस को पास होना चाहिए तो मैं अपनी गवर्नमेंट से कहूंगा कि चागला साहब की प्रैस्टिज को वह एक हाथ में रक्खे और मुसलमानान् ने हिन्द की प्रैस्टिज को वह दूसरे हाथ में रखे और वजन करें । अगर चागला साहब की प्रैस्टिज वजनी है तो इसे फौरन पास कर दे और अगर मुसलमानान हिन्द का वकार ज्यादा वजनी हो तो बिल नामंजूर कर दें ।

आखिर में मै सिर्फ एक बात कह कर बैठ जाता हूं :—

"घर को लगी है आग घर के चिराग से ।"

[شری محمد طاهر (کشن گنج): جناب سپیکر صاحب - مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج تک ہماری کانگریس نے - یا اس کی ورکنگ کمیٹی نے - یا کانگریس کے کسی هائی کمانڈ نے کوئی ایسا نہیں کہا جس کا مطلب یہ ہو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل اور صورت کو بدلا جائے - لیکن اس سوال کو سب سے پہلے اپوزیشن نے اٹھایا - اس هاؤس میں اور اس کے باہر بھی -

میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بل جو ابھی لایا گیا ہے - اس کے بارے میں ہمارے منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ بل اس لئے لایا گیا ہے کہ ۲۵ اپریل کو جو واقعہ ہوا اس میں وائس چانسلر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی - ایسا خراب کام - ایسا ہینئس کرائم کرنے کے لئے کانسپریسی کیوں ہوئی - اس کی وجہ آپ بتاتے ہیں کہ وہ نیشنلسٹ خیال کے تھے - میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کیا تھے - کرنل زیدی کیا تھے طیب جی کیا تھے - اگر وہ نیشنلسٹ نہیں تھے تو مجھے مجبور ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں صرف دو نیشنلسٹ ہیں - ایک نواب صاحب اور دوسرے چاگلا صاحب -

میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل حقیقت کے خلاف بات ہے کہ ان کا مرڈر کرنے کے لئے سازش کی گئی تھی - بلکہ سازش اس بات کی گئی تھی

کمیٹی نے اس کی روشنی میں ہر چیز کی جانچ کی اور کوئی الزام علیگڑھ یونیورسٹی کے خلاف ثابت نہیں ہوا - ایسی حالت میں وہ کانس پریسی کہ کوئی صورت سے آرڈیننس لایا جائے پھر فیل ہو گئی -

اس سلسلہ میں میں آپ کو اس رپورٹ کا پیرا ۵۵ کا خلاصہ بتائے دیتا ہوں - اس میں علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے قسمان کی تعریف کی گئی ہے مقابلہ اور یونیورسٹیوں کے خصوصاً بنارس یونیورسٹی کے - اس میں کہا گیا ہے کہ علیگڑھ یونیورسٹی کا قسمان نہایت بہتر ہے -

اب کمیٹی کی رپورٹ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ سبھی الزامات غلط ثابت ہوئے - اور انکوائری کمیٹی کہتی ہے کہ وہاں کا قسمان بہت اچھا ہے - ہمارے محبوب لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو وہاں تشریف لے گئے - شاستری جی وہاں تشریف لے گئے - انہوں نے بھی وہاں کے قسمان کی تعریف کی - اب کانسپریٹرس کو یہ خیال ہوا کہ کس طرح سے ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آرڈیننس جاری ہو - چنانچہ اس کے بعد - جیسا کہ ہماری بہن رینو چکرورتی نے کہا تھا - ایک بھیم سنگھ کو جو جن سنگھ کا تھا - جس سے بلایا گیا -

[شری محمد طاہر]

کہ ایسے حالات پیدا کئے جائیں کہ آرڈیننس جاری ہو جائے اور علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کا قتل کیا جائے - اس سازش کو میں پارلیمنٹ کی کاروائی سے ثابت کرونگا -

آپ خیال فرمائیے کہ ۱۹۶۰ میں مارچ کے مہینے میں ہمارے دوست شری پرکاش ویر شاستری نے کئی دفعہ اس ہاؤس میں ایسے سوالات اٹھائے کہ جن میں سخت سے سخت الزامات - ایمبیزلمنٹ وغیرہ کے - علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلاف لگائے گئے - وہ الزامات یقیناً ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے آرڈیننس آنا چاہئے تھا - مجھے پرکاشویر شاستری سے شکایت نہیں ہے اس لئے کہ ان کو انفارمیشن ملی- اور بحیثیت پارلیمنٹ کے ایک ممبر کے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا - لیکن اس کے بعد اس طرح سے کاروائی کی گئی کہ کسی طرح سے آرڈیننس لاگو کیا جائے - لیکن اس وقت جو ہمارے منسٹر مسٹر شری مالی صاحب تھے انہوں نے نہایت عقل مندی اور انصاف سے کام لیا اور انہوں نے انکوائری کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی - جب وہ کمیٹی مقرر ہو گئی تو شری پرکاشویر شاستری کو قرار نہ آیا - انہوں نے ۲ مارچ کو ہاؤس میں ایک ہاف اینر اور ڈسکشن کیا - اس میں تمام الزامات لگائے گئے - اور وہ تمام رکارڈ کمیٹی کے سامنے گیا -

اس کو هدایت دی گئی که تم جاؤ - وهاں کے لوگوں سے گھل مل جاؤ - اور کسی طرح سے ان سے ایجیٹیشن کراؤ - آپ جانتے هیں که مسلمان لڑکوں میں بھی کچھ لڑکے ایسے بدتمیز هوتے هیں که خراب سے خراب کام کرنے کے لئے تیار هو جاتے هیں - آپ جانتے هیں که پانچ هزار لڑکے مسلم یونیورسٹی میں هیں - ان میں صرف سو ڈیڑھ سو لڑکوں نے اس ایجیٹیشن میں حصه لیا کانسپریٹرس کا خیال تھا که علیگڑھ یونیورسٹی کے لڑکے جب تک مشتعل نہیں هوں گے تب تک ایجیٹیشن نہیں کریں گے اور وه مشتعل تبھی هوں گے جب ان کے سامنے پولیس لا کر کھڑی کر دی جائیگی اور ان پر گولی چلا دی جائیگی - چنانچه ایسا هی هوا - پولیس کو لایا گیا اور گولیاں چلائی گئیں اور اس لئے وهاں کے لڑکے مشتعل هو گئے اور ایک ناجائز حرکت کر بیٹھے - تو یه ایک کانسپریسی تھی که وهاں کسی طرح سے ایسے حالات پیدا کرو که آرڈیننس لاگو هو جائے -

مجھے اس کا سخت افسوس هے که یه کہا گیا که مرڈر کرنے کے لئے سازش کی گئی تھی - یه بالکل غلط هے - میرا کہنا هے که همارے منسٹر صاحب کو غلط اطلاع ملی جس سے وه ایسا کہتے هیں - دراصل بات یه تھی که یه کانسپریسی علیگڑھ یونیورسٹی کو قتل کرنے کے لئے کی گئی تھی -

میں کہتا هوں که کانسٹیٹیوشن کی دفعات ۳۰ - ۱۳ - اور ۱۲۳ کے مطابق یه آرڈیننس اور بل بالکل ناجائز هے اور نہیں آ سکتا -

دوسری بات منسٹر صاحب نے کہی که هم اس کو نیشنل یونیورسٹی بنانا چاهتے هیں - همارے دوست رگھوناتھ سنگھ جی نے کہا که علیگڑھ یونیورسٹی کو مسلمانوں نے نہیں بنایا هے -

شری رگھوناتھ سنگھ - میں نے کہا که یه مسلمانوں کی بنائی هوئی هے - لیکن اب اس میں ۹۵ پرسنٹ پبلک منی لگ رها هے جس کو که پارلیامنٹ گرانٹ کرتی هے -

شری محمد طاهر - پارلیامنٹ گرانٹ کرتی هے تو کانسٹیٹیوشن کی اجازت سے کرتی هے - آپ کا کہنا هے که یه مائناریٹی انسٹیٹیوشن نہیں هے اور نیشنل یونیورسٹی هے جیسی که بنارس یونیورسٹی - میں جانتا هوں که بنارس یونیورسٹی کے بارے میں پارلیامنٹ نے مہر لگا دی هے که یه هندو یونیورسٹی هے - البته یه نیشنل امپارٹنس کی هے - بنارس هندو یونیورسٹی کی جوائنٹ کمیٹی کی رپورٹ همارے سامنے گئی هے - آپ دیکھیں که اس جوائنٹ کمیٹی کو پارلیامنٹ نے بنایا هے اور اس میں دونوں هاوسیز کے ممبر هیں - پر ان میں ایک بھی مسلم یا سکھ یا اینگلو

[شری محمد طاهر]

انڈین نہیں ہے - مائنارٹیز کا ایک بھی ممبر اس میں نہیں ہے - اور ہمارے رگھوناتھ سنگھ جی نے اس میں کام کیا - ہمارے منسٹر صاحب نے اس میں کام کیا ہے - کیا نیشنل یونیورسٹی اس طرح کی یونیورسٹی ہو سکتی ہے - جس کی جوائنٹ کمیٹی میں ایک بھی مسلم نہ ہو - مجھے خوشی ہے کہ پارلیامنٹ نے اس پر مہر لگا دی ہے - ہ یہ ؛ ک ل ہندوؤں کے لئے ہندو یونیورسٹی ہے لیکن نیشنل امپارٹینس کی بھی ضرور ہے اس طریقے سے مسلم یونیورسٹی مسلمانوں نے بنائی ہے لیکن وہ بھی نیشنل امپارٹینس کی ضرور ہے -

اس سلسلے میں جناب منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ مجلس مشاورتی کی میٹنگ میں جس میں ڈاکٹر محمود شامل تھے انہوں نے جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کو ساتھ لے کر ہمارے اس آرڈیننس کے خلاف پروپیگنڈا کیا - یہ صحیح ہے کہ پروپیگنڈا کیا مگر ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ ڈاکٹر محمود نے وہ کام کیا جسے کسی نے نہیں کیا - تھی راستے پر چلنے والی جماعت کو ایک راستے پر لائے اور اس کے متعلق جتنے جلسے اور میٹنگس ہوئیں ان بڑے بڑے جلسوں کی ہندو بھائیوں نے صدارت کی ہے اور ان میں سوائے

قومی یکجہتی اور ہندو مسلم اتحاد کے اور دوسری کسی چیز پر زور نہیں دیا گیا - ہاں آپ کے آرڈیننس کے خلاف ایک اپیل مسلمانوں سے ضرور کی - انہوں نے کہا کہ بھائیوں ١٢ تاریخ کو تم جب نماز میں جاؤ تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہماری گورنمنٹ کو توفیق نیک عطا فرما اور چاگلہ صاحب کے ظلم سے مسلم یونیورسٹی کو بچا لے - یہ عمل بالکل معصوم اور بے گناہ ایجیٹیشن کیا گیا ہے لیکن یہ ایجیٹیشن کرنے والے بھی ڈی - آئی آر کے شکار ہو گئے - اب سوال یہاں پرسٹیج کا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ چاگلہ صاحب نے ایک کام کیا ہے وہ منسٹر ہیں وہ ایک بل یہاں پر لائے ہیں تو اب اس کو پاس ہونا چاہئے تو میں اپنی گورنمنٹ سے کہونگا کہ چاگلہ صاحب کی پرسٹیج کو وہ ایک ہاتھ میں رکھیں اور مسلمانان ہند کی پرسٹیج کو وہ دوسرے ہاتھ میں رکھیں اور وزن کریں - اگر چاگلہ صاحب کی پرسٹیج وزنی ہو تو اسے پاس کر دیں - اور اگر مسلمانان ہند کا وقار زیادہ وزنی ہو تو [illegible] نامنظور کر دیں—اب آخر میں میں صرف ایک بات کہہ کر بیٹھ جاتا ہوں -

گھر کو لگی ہے آگ گھر کے چراغ سے -]

Dr. M. S. Aney (Nagpur): I rise to support the motion for the third reading of the Aligarh University Bill moved by the Hon. Minister for Education. I most heartily congratulate the Hon. Minister, Shri Chagla, not merely for piloting the Bill wisely, skilfully and ably in the debate through the House but also for placing before the whole of India our ideal of what a high-souled Muslim nationalist should be.

The storm of criticism that was raised was not so much to vindicate the position of the great Aligarh University as to vilify the Hon. Member who was taken for a villain. The dignified way in which the Hon. Member treated his opponents both inside and outside the Parliament is exemplary.

The debate on this Bill was lively and at times reached a high level of forensic eloquence which is very seldom attained in this House. If the argument based on the fundamental right provided for the minorities in Article 30 of the Constitution was plausible and capable, the subtle distinction between the words 'Institution' and 'The University' which you and another Congress friend—Shri Shree Narayan Das I suppose—made was felt convincing by the House, if not crushing for the time being, and won both applause and approval of the great majority of the House in favour of the Bill.

Mr. Anthony's contention was that the legislation of the Aligarh University Act by the Parliament or the Government of India was only an official recognition and nothing more and that the fact of its establishment by the Mohammedan community is not wiped out thereby. In his zeal to champion the cause of a community, Mr. Anthony lost sight of the simple and most obvious fact that there is recognition only for a thing that exists. There was no Aligarh University run by the Muslim community in existence and, therefore, the demand of the Muslim community was for the creation of a Muslim University at Aligarh just as they had created a Banaras Hindu University at Banaras. A. M. College was offered by them to the Government to be the nucleus of the educational centre which it was the object of the Government to develop at Aligarh by establishing the University.

In the case of Banaras Hindu University, Banaras Hindu College, started and run by the theosophical society, was offered as a nucleus for that centre to develop. And, in my opinion, the words "Hindu" and "Muslim" are retained in the names of these two Universities by the Legislature mainly for the recognition of the historic association of the institutions which the Universities started and not for emphasizing the denominational character of the Universities themselves.

In the course of the debate, great emphasis was given by some Members on the point that donation and grants to the funds of the old college and later on to the University for various purposes connected with educational work of the University were made by the Muslim population of India. I think that it is partially true, but all those funds belonged to the Aligarh University and they will remain so. The Muslim community has no concern with the funds. This point has some legal importance. Aligarh University is a legal person and has a legal entity. In case, for any unforeseen calamity, this object ceases to exist, the funds will be in the hands of the Government of India to be disposed of in accordance with the law of public trust and will not go back to the Muslim community as such. The principle of Cypres doctrine trust might apply. So long as the Indian Republic exists, the funds and properties of the University will be used for the aims and objects of the Aligarh University and no other purpose. Muslim community as such has no voice to determine the nature of its disposition.

Now, lastly one word more and I conclude. The Hon. Member assured the House—and the nature of the Bill

[Dr. M. S. Aney]

itself indicates—that it is a temporary measure, intended to be replaced by permanent measure at the earliest possible opportunity. It is intended to enable the Government to take steps and place the University authority in a position of strength to deal firmly to restore normal conditions. At present the University is in a state of disorder and bad temper. The malady has to be cured in order to bring it back to normal condition.

A man in disease has to be taken to a nursing home and treated by the Doctors keeping him on diet. Food in disease is different from food in health. The patient generally complains against bitter pills and doses and injections given to him. He chafes at the tasteless, though nourishing, food that is given to him. But we all know that that is the only way for his cure under the treatment of an expert and conscientious doctor.

I have no doubt that Dr. Chagla is there to personally supervise the administration and things which are bad and evil will soon disappear and normal conditions will be restored. We shall have the pleasure to welcome a new Bill of the Aligarh University Act at the earliest possible date.

I end with a note of Hindu-Muslim unity and the urgency of the feeling of national unity and national integrity, congratulating our brave soldiers who are today fighting shoulder to shoulder to end aggression of Pakistan on India. This Bill should serve to strengthen Hindu-Muslim unity still further. That is the need of the day.

With these words, I support the Bill.

Mr. Speaker: Now, Shri Muhammad Ismail. Hon. Members should not take more than five minutes each, so that I could accommodate one or two more hon. Members. Those who have spoken already should not desire to speak again now.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Shri Muhammad Ismail also has spoken already.

Mr. Speaker: I know that.

Shri Muhammad Ismail (Manjeri): In opposing the Bill, I say that it offends many of the provisions of the Constitution of India. How it offends has been pointed out by the previous speakers already, and I do not want to tire the patience of the House by repeating it once again.

The Education Minister wants to get over constitutional difficulties by merely quibbling on the word 'establish' found in article 30. I think there are lawyers who will say that that quibbling does not and cannot really deliver the goods in the face of the solid provisions of the Constitution and the solid facts of history. This institution has been what it is and has been belonging to the Muslims for the last century or so, and there has been no doubt whatever about that fact during all these years excepting now.

It has been pointed out by some of the previous speakers that everything was all right with this university. In 1961, the Chatterjee Committee, and then the late Prime Minister of India and the present Prime Minister of India and Shri Tyabji who was the last vice-chancellor have all spoken about the discipline of the university. They had said that the discipline of the university compared very favourably with the discipline obtaining in many other university. That was the opinion of all these people and yet all of a sudden this thing has happened and indiscipline is said to have been there.

Then, the hon. Minister speaks of conspiracy. I do not know how a conspiracy is hatched or executed. But one cannot understand how these people who wanted to execute the conspiracy came with tom-tomming and slogans and with a coffin. The hon. Education Minister during his career as a judge must have dealt with many cases of conspiracies. I do not know whether he knows that conspiracies are hatched and execut-

ed in this manner, and that too, whether such a thing could happen within five weeks of the departure of the previous vice-chancellor and the advent of the new one. If the malaise, as has been claimed by some hon. friend, is deep-rooted, which it really strange, and if such a malaise should have overtaken the authorities and overtaken the much-talked of discipline of the university in such a short time as that, if such were the case, then a judicial inquiry ought to have been instituted to find out what this terrible malaise was which had taken such a vicious and deep root in the university within those five weeks.

In dealing with that, the Education Minister has gone out of his way to malign and attack people and parties. He attacked also Dr. Syed Mahmud. Dr. Syed Mahmud has been in the Congress for more than sixty years, and he had been one of the staunchest disciple of Mahatma Gandhi, and he has done everything to advance the cause of nationalism in the country. If such a man as that is to be treated in this manner by people who entered the Congress only the other day, then it is the concern of the Congress Party and it is for them to decide. But so far as the public know, he has done good to the people.

Then, the Education Minister has spoken of the Mushwaraat and its component parts. What has this Mushwaraat done? It has gone round the country for uniting the people, Hindus as well as Muslims. There was not a single meeting that was convened under the auspices of the Mushwaraat which was not attended by Hindus not merely by ordinary Hindus but by Hindu leaders including Congressmen. Let my hon. friend find out a single instance in which anything was said either by the Mushwaraat Committee or by the Muslim League members or by the Jamiate Islami which wou'd injure the interests of the country. There have been people and Congress leaders who have paid encomiums in such meetings for the step that was taken by the people who were touring the country under the Majlise Mushwaraat.

Then, my hon. friend speaks of the Muslim League. He it was who had taken the support of the Muslim League with regard to the Congress policy on Kashmir and Pakistan, to the United Nations, and he spoke of it with great approbation and commendation. But today he comes here and speaks disparagingly of that organisation....

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): Why should my hon. friend make it personal?

Shri Muhammad Ismail: The Muslim League stands for equally honourable existence of all the people and for hearts harmony; it stands for the defence of the country; it stands for the integrity, strength and honour of the country. After having paid in the world forum approbation for this organisation, now he comes and tries to disparage that organisation.

In regard to the Jamiate Islami, I would like to point out that it is a religious organisation. It is concerned and distressed at a section of the youth of the Muslim community falling into the pit of narrowness and godlessness, and gross and vulgar materialism. That organisation is doing what it can to reclaim the Muslim youth from that terrible pit into which nobody, either Muslim or Hindu or Christian shou'd fall. With all that, my hon. friend in his own one-sided manner attacks them where they could not defend themselves, and all this he is doing for buttressing this Bill. What do we say? Once again, we insist we stand on the provisions of the Constitution in our opposition to this Bill and nothing more. The claims of Shri M. C. Chagla cannot satisfy the lawyer-Members here and the lawyers outside the country. That is a point on which he may expatiate and he may enlighten us. But instead of that he is going and attacking unnecessarily people who have been serving the cause of the country.

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, का भाषण सुन रहा था, तो मुझे यह अनुभव हो रहा था कि क्या वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की महत्ता और इस बिल की आवश्यकता पर बोल रहे हैं या हिन्दू-मुस्लिम सवाल पर बोल रहे हैं । माननीय सदस्य अपने भाषण में सैकुलरिज्म का नाम भी ले रहे थे, देश की जनता का नाम भी ले रहे थे, जन-प्रतिनिधित्व का नाम भी ले रहे थे और एक सम्प्रदाय का नाम भी ले रहे थे । पता नहीं यह पार्लियामेंट जन प्रतिनिधित्व की द्योतक है, जनता की आवाज की द्योतक है या केवल श्री यशपाल सिंह ही जन-प्रतिनिधित्व और जनता के द्योतक हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में पांच सौ मेम्बरान हैं । उन पांच सौ मेम्बरान में श्री यशपाल सिंह के प्रस्ताव का कितने मेम्बरों ने समर्थन किया, इस से ही पता लग जाता है कि जनता किस तरफ है ।

श्री यशपाल सिंह : आसमान में चांद एक ही होता है ।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय सदस्य दोनों तरफ की बात कह रहे थे—वह सेकुलरिज्म की बात भी कह रहे थे और एक सम्प्रदाय की बात भी कह रहे थे । वह कभी सैकुलरिज्म के भाव से बोल रहे थे और कभी कम्युनलिज्म के भाव से बोल रहे थे । पता नहीं, वह किस भाव से बोल रहे थे ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस का भी समय आया । उस के लिए भी ऐसा ही कानून बना, लेकिन उस को ले कर देश में इतना हल्ला नहीं हुआ, "हिन्दू" के नाम को ले कर देश में इस तरह झगड़ा नहीं हुआ । उस यूनिवर्सिटी में क्या खराबियां थीं, यह देखने के लिए एक कमेटी बनी । उस ने एक सलत या सही रिपोर्ट दी, जिस पर गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया और बाद में उस के मुताबिक एक कानून बनाया । इस कानून का आप ने हवाला दिया । आप ने कहा कि उस में नान-हिन्दू नहीं हैं । वह भी गलत है । एंग्लो इंडियन कमेटी का मेम्बर है । वह नान हिन्दू नहीं है ? और अगर नान-हिन्दू नहीं रखा गया तो इस के हम लोग दोषी नहीं हैं । उस कमेटी में भी यह प्रश्न उठा था कि जब देश इस पार्लियामेंट के द्वारा शासित होता है और यह पार्लियामेंट राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान देती है और अनुदान ही नहीं बल्कि खर्चा देती है तो वे क्यों हिन्दू और मुस्लिम नाम से कायम रखी जाएं ? मैं ने भी यह प्रश्न उठाया था और अब भी कहना चाहता हूं कि सतरह अठारह बरस के बाद भी क्या हमारे लिए यह उचित है कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य होने के नाते हम हिन्दू यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्रिस्चियन यूनिवर्सिटी आदि यूनिवर्सिटीज के नाम कायम रखें ? जब यूनिवर्सिटीज इस तरह से शासित हों, इस तरह से उन को पैसे आते हों कि जिस में हर धर्म के व्यक्ति का हिस्सा होता है, जन समूह के द्वारा दिये गये टैक्सों से उन को पैसे मिलते हों, जिन में हिन्दू भी है, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, सब हैं, तो क्या यह उचित नहीं है कि उन के नामों को भी बदल दिया जाए ? यह कब तक चलता रहेगा और कब तक हम इन नामों को बनाये रखेंगे ?

अभी यहां कहा गया है कि संविधान के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं । संविधान के आर्टिकल 30 का जिक्र किया गया है । उस में जो कुछ दिया गया है, उस को पढ़ कर सुनाया गया है । चागला साहब का भी नाम इस में लिया गया है और कहा गया है कि इन्हों ने इस तरह से इस को

व्याख्या की थी । मेरा खयाल है कि चागला साहब उस व्याख्या पर अब भी कायम है । मैं समझता हूं कि आर्टिकल 30 केवल ऐसी इन्स्टीट्यूशंज के लिए है जोकि व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती हैं और गवर्नमेंट की मर्जी है उन को जितना अनुदान दे या न दे । लेकिन जहां तक यूनिवर्सिटीज का सम्बन्ध है, उन पर आर्टिकल 30 लागू नहीं होता है । यूनिवर्सिटीज किसी धर्म विशेष की कभी भी केन्द्र नहीं हो सकती हैं । वहां पर भूगोल, साइंस, अरिथमैटिक, इतिहास आदि की शिक्षा दी जाती है जो किसी धर्म विशेष से सम्बन्ध नहीं रखती है । ये विषय तो सार्वभौमिक हैं । उसका नाम ही यूनिवर्सिटी रखा गया है यानी यूनिवर्सल ।

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में धर्म की शिक्षा का प्रबन्ध हो, इसको कोई मना नहीं करता है । इस को बिल में भी मना नहीं किया गया है । वह चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे सकती है । वहां पर अरबी में, इस्लामिक धर्म की, इस्लामिक कल्चर की पढ़ाई हो सकती है । लेकिन वे किसी को इसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं । नान-मुस्लिम किसी को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है यह नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी को कोई विशेष धार्मिक शिक्षा पाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। हिन्दू यूनिवर्सिटी भी ऐसा नहीं कर सकती है ।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का जो विधेयक यहां आने वाला है सिलेक्ट कमेटी से उस में हम ने यह इस बात की भी व्यवस्था की है कि वहां मुस्लिम कल्चर की पढ़ाई की सुविधा हो, वहां मुस्लिम धर्म, हिन्दू धर्म, वैदिक धर्म, जैड अवस्ता आदि सबकी पढ़ाई की व्यवस्था हो । उन सबको शामिल किया है । जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहे, उसके लिए उसको पढ़ने की सुविधा होगी । यही यूनिवर्सिटी का काम है । वैसे ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबके लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये ।

हमारे माननीय श्री यशपाल सिंह जी ने कहा है कि एडमिशन जो उस कालेज के लड़कों का साइंस, इंजीनियरिंग आदि में हुआ करता है वह अब पचास परसेंट हो गया है और पचास परसेंट बाहर से लिये जायेंगे उनका कहना था कि पच्चीस परसेंट कहां जायेंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी कालेज विशेष या किसी यूनिवर्सिटी विशेष के लड़कों को उसी यूनिवर्सिटी में मान्यता मिले, ऐसा नहीं होना चाहिये, उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, ऐसा नहीं होना चाहिये । योग्यता के आधार पर यह होना चाहिये । हर यूनिवर्सिटी में योग्यता के आधार पर एडमिशन मिलना चाहिये, सबको प्रवेश मिलना चाहिये । उसके लिए कम्पीटीशन हो । साइंस के जितने विभाग हैं, इंजीनियरिंग के जितने विभाग हैं, टेक्नालोजी के जितने विभाग है, उन सब में किसी विशेष यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को ही लिया जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए । उसको हर विद्यार्थी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के लिए ओपन करना चाहिये । उसके लिए कम्पीटीशन हो । सब कम्पीटीशन में बैठें और जिसके अधिक से अधिक मार्क्स आयें, उसे एडमिशन मिले । बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आई० ए० एस० में होता है । लेकिन आज हो क्या रहा है हैं आज अनुपात फिक्स कर दिया गया है स्टेट्स में कि इतने उस स्टेट के लिए जायेंगे, इतने बाहर के लिए जायें । यह चूंकि झगड़ा है इस बिना पर किया गया है । लेकिन योग्यता के आधार पर एडमिशन मिलना चाहिये यूनिवर्सिटीज के अन्दर ।

अब समय आ गया है कि अगर इस बिल में नहीं तो एक अलग से स्वतन्त्र बिल लाकर आप यह व्यवस्था करें कि जाति के नाम से धर्म के नाम से, से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हिन्दुस्तान में नहीं रहेगा और अगर जाति या धर्म विशेष के नाम पर कोई होंगे तो उसे राज्य नहीं चलायेगा । हमारा

[श्री सिंहासन सिंह]

धर्म निरपेक्ष राज्य है । हम किसी धर्म को आघात नहीं पहुंचाना चाहते और न ही किसी धर्म को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं अपने सरकारी पैसे से । मैं चाहता हूं कि यह जो धर्मों का झगड़ा है जहां तक एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंज का सम्बन्ध है, यह नहीं रहना चाहिये । हिन्दू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं और आपस में कल्चर के नाम पर जो लड़ाई होती है यह नहीं होनी चाहिये । हमारे देश का कम्पोजिट कल्चर है जैसाकि एक बार हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था । हमारा सब का मिला जुला कल्चर है, कम्पोजिट कल्चर है ।

अध्यक्ष महोदय : अब और मौका देने का वक्त खत्म हो गया है । शास्त्री जी परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं । एक दो मिनट में वह जो कुछ कहना चाहते हैं कह लें ।

Shri Sham Lal Saraf: May I make a submission? I come from a State where my friends have very strong feelings, mixed feelings about the Bill. So I may be given a few minutes.

Mr. Speaker: You have come from one corner. It is not necessary that every State should have representation in this matter.

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : मुझे भी दो मिनट मिलने चाहियें ।

Shri Sham Lal Saraf: The reason for my asking for being allowed to speak is obvious. So please allow me.

श्री मुजफ्फर हुसैन : (मुरादाबाद) : इन के बाद मुझे भी बोलने की इजाजत दी जाएगी ? अगर इन्होंने कोई इल्जाम लगाया तो मझ को भी मौका दिया जाएगा कि मैं उसका जवाब दे सकूं । ताहिर साहब पर इन्होंने कोई इल्जाम लगाया तो हम को भी जवाब देने का मौका दिया जाएगा न ?

अध्यक्ष महोदय : अगर इस तरह से इलजाम लगाते जायेंगे और उन का जवाब दिया जाता रहेगा तो यह सिलसिला कहीं खत्म ही नहीं होगा । इन को मैं इलजाम नहीं लगाने दूंगा । मैं चाहता हूं कि शास्त्री जी भी रहने दें और कुछ न कहें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनोर) : अच्छी बात है । मैं कुछ नहीं कहता हूं ।

Shri M. C. Chagla: Mr. Speaker, as we all know, we are facing a very serious crisis just now. There is aggression, there is undeclared war, We should do everything in our power to maintain communal peace and harmony. We should not say a word which will interfere with that harmony which exists and which should continue to exist. Today we should think of ourselves not as Hindus or Muslims, but as Indians, one and all.

Now, I am a great deal in agreement with what Shri Mukerjee said. I have said this before and I repeat it—I repeat it with all the emphasis I possess—that this Bill will not in any way, affect what Shri Mukerjee chooses to call the special character of the University.

The Academic Council has not been interfered with. This Bill does not touch the academic studies in the University. The academic studies will go on as they are. I also reiterate what I said before, that this is a temporary measure, an emergency measure, and a permanent Bill will be introduced as soon as possible, if possible in the next session.

May I say again, echoing what Shri Mukerjee said, that Aligarh University should be the symbol of our composite culture?

Some hon. Members: Yes.

Shri M. C. Chagla: It should be the symbol of Muslim culture in the context of secular India. It should be an example to the rest of the would how different communities can

live together in peace and harmony in our country. It should also be an example to the world how in the midst of diversity we have found unity in our policy.

My hon. friend, Shri Yashpal Singh, has used rather strong expressions against me. He said I wanted to trample upon Aligarh. My hon. friend over there said "ज़ुल्म किया है"
I do not understand how I have trampled upon Aligarh.

Dr. L. M. Singhvi: We use stronger words. He said that he wanted to 'murder' it.

Shri M. C. Chagla: मैं नहीं समझ सका हूं कि क्या ज़ुल्म मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ किया है। I assure him that my sole intention is to preserve the glory of Aligarh. I know it has made a great contribution to our academic life, our scholarship and our nationalism, I want to assure this House that I have brought in this ordinance and the Bill, as a temporary measure, in order that Aligarh should be strengthened and should become a modern progressive University, that it should be a shining light not only in India but abroad, of our great composite culture.

With these words, I move.

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed".

The Lok Sabha divided:

Division No. 15] **AYES** **[13·45 hrs.**

Ancy, Dr. M.S
Bade, Shri
Bal Krishna Singh, Shri
Basumatari, Shri
Bears, Shri
Bhanu Prakash Singh, Shri
Borooah, Shri P.C.
Chakraverti, Shri P.R.
Chandrabhan Singh, Shri
Chaturvedi, Shri S.N.
Chaudhury, Shri Chandramani Lal
Chavda, Shrimati Joraben
Daljit Singh, Shri
Das, Shri Sudhansu
Dorai, Shri Kasinatha
Dwivedy Shri M. L.
Ganga Devi, Shrimati
Gokaran Prasad, Shri
Guha, Shri A.C.
Gupta, Shri Kashi Ram
Hansda, Shri Subodh
Haq, Shri M.M.
Harvani, Shri Ansar
Jamir, Shri S.G.
Jamunadevi, Shrimati
Joshi, Shrimati Subhadra
Jyotishi, Shri J.P.
Kachhavaiya, Shri Hukam Chand
Kappen, Shri
Kedaria, Shri C.M.
Keishing, Shri Rishang
Khan, Dr. P.N.
Kotoki, Shri Liladhar
Krishna, Shri M.R.
Krishnapal Singh, Shri
Kureel, Shri B.N.
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N.R.
Laxmi Bai, Shrimati
Maimoona Sultan, Shrimati
Malaichami, Shri
Maruthiah, Shri
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Mehta, Shri J.R.
Melkote, Dr.
Minimata, Shrimati
Mohanty, Shri Gokulananda
More, Shri K.L.
More, Shri S.S.
Muthiah, Shri
Paliwal, Shri
Pande, Shri K.N.
Pandey, Shri R.S.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Rajeshwar
Patil, Shri D.S.
Prabhakar, Shri Naval
Pratap Singh, Shri
Raghunath Singh, Shri
Rai, Shrimati Sahodra Bai
Rajdeo Singh, Shri
Ramanathan Chettiar, Shri R.
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Krishnamoorthy
Rao, Shri Rameshwar
Raut, Shri Bhola
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S.K.
Saigal, Shri A.S.
Saraf, Shri Sham Lal
Satyabhama Devi, Shrimati
Sen, Shri P.G.
Sharma, Shri A.P.
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Rama Nand
Shukla, Shri Vidyacharan
Siddananjappa, Shri
Siddhanti, Shri Jagdev Singh
Singhvi, Dr. L.M.
Sinha, Shrimati Ramdulari
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Sinhasan Singh, Shri
Sivappraghassan, Shri Ku.
Snatak, Shri Nardeo
Subbaraman, Shri
Tiwary, Shri D.N.
Tiwary Shri K.N.
Tiwary, Shri R.S.
Uikey, Shri
Upadhyaya, Shri Shiva Dutt
Varma, Shri Ravindra
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Radhelal
Yadab, Shri N P.
Yadava, Shr B. P.

NOES

Kandappan, Shri S.	Maurya, Shri	Sezhiyan, Shri
Koya, Shri	Muhammad Ismail, Shri	Tahir, Shri Mohammad
	Mazaffar Hussain, Shri	Yashpal Singh, Shri

Shri P. L. Barupal (Ganganagar): I am for Ayes.

Mr. Speaker: What is reflected there?

Shri P. L. Barupal: Abstention.

Mr. Speaker: That will be noted.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): Mine has not worked.

Mr. Speaker: The hon. Minister has not voted, or something is wrong?

Shrimati Soundaram Ramachandran: Something is wrong.

Mr. Speaker: That will be noted.

Ayes: 97; Noes 8.

The motion was adopted.

13.41 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: PAYMENT OF BONUS ORDINANCE; AND PAYMENT OF BONUS BILL

Mr. Speaker: Before I call upon Shri Masani, out of the five hours allotted, how much time should be given to the general discussion?

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): Five hours is too inadequate.

Shri N. Dandeker (Gonda): There is a very large number of amendments tabled, and a very large number of Members want to speak.

Mr. Speaker: Three hours would be enough for general discussion?

Shri N. Dandeker: Four hours, and at least four hours for clause by clause consideration, and one hour for the third reading.

Mr. Speaker: Not that one hour afterwards.

Shri N. Dandeker: Amendments are in hundreds.

Mr. Speaker: That would be too much then. Five plus three, eight hours in all. I will add three more with the consent of the House.

Shri N. Dandeker: Three hours for general discussion, four for clause by clause consideration, and one for third reading. Or, you could have 3½ hours for general discussion.

Shri Indrajit Gupta: Four, three and one.

Mr. Speaker: This is the concensus, four, three and one.

Shri N. Dandeker: I am quite certain that clause by clause consideration would require much longer.

Shri M. R. Masani (Rajkot): I beg to move:

> "That this House disapproves of the Payment of Bonus Ordinance, 1965 (Ordinance No. 3 of 1965) promulgated by the President on the 29th May, 1965."

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

May I, while moving this resolution, make it clear that my purpose at this stage is not to discuss the merits or demerits of the ordinance or the Bill which now takes its place? I am concerned at the moment with the justification for promulgating the ordinance on 29th May last. In so far as the merits of the Bill are concerned, my colleague will address the House on that matter, and we have tabled a large number of amendments which explain our stand. Therefore, what I say now has no implications in so far as the contents of the Bill are concerned. I am concerned with the use of the ordinance-making power to which recourse was had.